संख्या-55/2016/2121/60-2-16-2/3(2)/08

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2016

विषय : आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड के अन्तर्गत दी जाने वाली रेसिपी पर आने वाले अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-597/बा.वि.परि./लेखा/2016-17, दिनांक 08.07.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश के जनपदों की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड दिये जाने हेतु माह जून, 2016 के लिए रूपये 55,85,23,136/- (रूपये पचपन करोड़ पचासी लाख तेइस हजार एक सौ छत्तीस मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-34/2016/1374/60-2-16-2/3(2)08 दिनांक 08 जून, 2016 निर्गत किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड दिये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार रूपये 55,85,23,136/- (रूपये पचपन करोड़ पचासी लाख तेइस हजार एक सौ छत्तीस मात्र) प्रतिमाह की दर से दो माहों (अगस्त, 2016 व सितम्बर, 2016) के लिए रूपये 1,11,70,46,272.00 (रूपये एक अरब ग्यारह करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार दो सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खाते में अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) समस्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(6) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।

(7) एक अग्रिम के उपरान्त, दूसरा अग्रिम तभी आहरित किया जायेगा, जब पूर्व अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित कर लिया गया हो।

(8) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(9) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(10) प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन की ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किये गये हैं, उसी के अनुरूप निर्देश निर्गत करने का प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजा जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-आयोजनागत-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–एफ.ए.-301/दस-2016, दिनांक 08-08-2016 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

<u>संख्या-55/2016/2121(1)/60-2-16, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1।
4. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
5. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in